

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/34

दिनांक:-11/4/19

### आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड दौसा उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय/अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम जयपुर के अधीन मण्डल की खान भंकारी योजना, दौसा में सरप्लस अनिस्तारित विभिन्न आय वर्ग के 67 फ्लेटों का खुली बिक्री योजना के तहत नगद भुगतान पद्धति में अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	श्रेणी	फ्लेट नं.	तल	विशेष विवरण
1.	EWS (G+2) = 30 Flat	E-04, E-13, E-14, E-15, E-16, E-25, E-27, E-28, E-37, E-38, E-39, E-40	Ground	
		E-17, E-18, E-20, E-29, E-31, E-32, E-41, E-44	First	
		E-21, E-22, E-23, E-24, E-33, E-36, E-45, E-46, E-47, E-48	Second	
2.	LIG (G+2) = 26 Flat	L-01, L-02, L-03, L-15, L-25, L-27, L-28	Ground	
		L-05, L-06, L-08, L-18, L-19, L-30, L-31, L-32	First	
		L-09, L-10, L-11, L-12, L-21, L-22, L-23, L-33, L-34, L-35, L-36	Second	
3.	MIG-A (G+2) = 11 Flat	MA-04, MA-14, MA-15, MA-16	Ground	
		MA-06, MA-07, MA-17, MA-18	First	
		MA-12, MA-21, MA-23	Second	
	TOTAL	67 Mos. Flats Surplus		

अतः उल्लेखित सारणी में उपलब्ध फ्लेटों का खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में उल्लेखित शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।



5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासो) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।  
उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का पैरा संख्या 35/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0, वृत्त-तृतीय, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-दौसा, रा0 आ0म0, दौसा।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक